प्रेस नोट–203/2026
दिनांक 13.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 01 जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12/13.04.2026 को थाना अनूपशहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुलन्दशहर अड्डे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त विनोद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 01 जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विनोद निवासी ग्राम जखेता थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 01 जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली कटरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.04.2026 को थाना कोतवाली कटरा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजापुर गांव में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इंद्रासन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इंद्रासन निवासी लोहदीकलां(लंका पहाड़ी) थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—01 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्राली**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.04.2026 को थाना लाइनपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहनलाल घायल हो गया,

जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लाइनपार पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लाइनपार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहनलाल निवासी बारेलाल की ठार गुदाऊ थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर मय ट्राली।

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 93 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.04.2026 को थाना औरंगाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—सचिन उर्फ पप्पू 2—कपिल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 93 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सचिन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम जटवाई थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2—कपिल निवासी ग्राम जटवाई थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 93 हजार रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद हरदोई (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 25 लाख 14 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस ने अभियुक्त धीरज गुप्ता पुत्र सन्तोष कुमार गुप्ता निवासी ग्राम कासिमपुर थाना बघौली जनपद हरदोई द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 25 लाख 14 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 17—17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—बब्लू 2—सुनील कुमार को आजीवन कारावास व 17—17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 5एम पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना नखासा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना नखासा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कल्लू 2–फारूख उर्फ नेता को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354(बी) भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जेम्स करोतिया को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रमजान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––